

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
“ए” ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

क्रमांक : एफ.4(ई)/(148/92)/अलेसे-III/ 12068-77

दिनांक : 16/11/2015

आदेश संख्या 129/2014-15

विभागीय आदेश क्रमांक 3041-3046 दिनांक 28.06.2012 के द्वारा श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, खेत सुधार खण्ड प्रथम, सी.ए.डी., कोटा के विरुद्ध थानाधिकारी पुलिस थाना महावीर नगर कोटा में प्रथम सूचना रिपोर्ट 110/12 के कारण 48 घण्टे से अधिक पुलिस हिरासत में रखे जाने पर दिनांक 01.05.2012 से निलम्बित किया गया था। निलम्बन से बहाली हेतु आयोजित समीक्षा बैठक में श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता को निलम्बन से बहाल किये जाने हेतु लिये गये निर्णयानुसार श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार को तुरन्त प्रभाव से निलम्बन से बहाल करते हुए अग्रिम आदेशों तक मुख्यालय पारिवारिक न्यायालय, चित्तौडगढ़ में किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अग्रिम आदेशों तक उक्त कार्यालय में कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद का कार्य सम्पादित करेंगे।

निलम्बन अवधि का निर्णय न्यायालय निर्णय के अध्यक्षीन किया जावेगा।

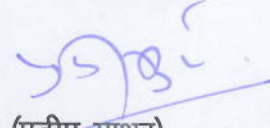

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक : एफ.4(ई)/(148/92)/अलेसे-III/ 12068-77

दिनांक : 16/11/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक, पुलिस द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अधिशाषी अभियन्ता, खेत सुधार खण्ड प्रथम, सी.ए.डी., कोटा।
4. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, कोटा।
5. श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार, मुख्यालय उप कोष कार्यालय, कोटा।
6. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु)।
7. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
8. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली/श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, सहा.लेखा.-II, कार्यालय हाजा


(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)